That in order to constitute a sitting of the Joint Committee, the quorum shall be one-third of the total numter of members of the Committee ;

That in other respects, the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees will apply with such variations and modifications as the Speaker may make ; and

That this House recommends to the Rajya Sabha that the Rajya Sabha do join in the said Joint Committee and to communicate to this House the names of members to be appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee.'

I am to request that the concurrence of Rajya Sabha in the said motion, and also the names of the members of Rajya Sabha so appointed, may be communicated to this House."

RE PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 IN RELATION TO PUNJAB

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL/ गृह मंत्रालय श्रौर कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (in English and Hindi) :

(i) Proclamation (G.S.R. No. 944) issued by the President on June 15, 1971 under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Punjab, under clause (3) of article 356 of the Constitution.

(ii) Order (G.S.R. No. 945) dated June 15, 1971, made by the President under sub-clause (i) of clause (c) of the above Proclamation.

(iii) Report of the Governor of the Punjab, dated the 13th June, 1971, to the President recommending President's Rule in the Punjab.

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE DELHI SIKH GURDWARAS (MANAGEMENT) ORDINANCE, 1971 (NO. 9 OF 1971)

11 THE DELHI SIKH GURDWARAS (MANAGEMENT) BILL, 1971 MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now,

the Statutery Resolution. Yes, Mr. Advani. He is not here to move ?, . . He is here.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE,/विधि श्रौर न्याय मन्त्री (SHRI H. R. GOKHALE) : Sir, these two are to be taken up together.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Yes, they are to be taken up together.

श्री लाल श्राडवाणी (दिल्ली) : श्रीमन्, श्रापकी श्राज्ञा से मैं संकल्प उपस्थित करता हूं :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 मई, 1971 को प्रख्यापित दिल्ली सिख गुरुद्वारा (प्रबंध) अध्यादेश, 197 (1971 का संख्या 9) का निरनुमोदन करती है।"

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Advani, do you want to speak now ?

SHRI LAL K. ADV\NI : Later on, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You will have to speak now. You better take your own seat.

श्री लाल श्राडवाणी : उपसभापति महोदय, मुझे इस विषय में दो ही बातें कहनी हैं। पहले तो यह विधेयक जो श्रार्डिनेन्स के स्थान पर लाया जा रहा है दिल्ली के सम्बन्ध में है। जहां तक मुझे जानकारी है 1966 में जब महानगर परिषद् बनी थी तब से लेकर आज तक पिछले पांच सालों में यह पहला ही ऐसा विधेयक है जो महानगर परिषद् में गये बिना हम इस पर विचार कर रहे हैं। यों इस पर विचार करने का संसद् का पूरा श्रधिकार है, महानगर परिषद् कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसके कारण उसका अधिकार संकुचित हो सकता है। किन्तु परम्परा यह रही है, इस सदन की प्रैक्टिस यह रही है श्रौर सरकार की स्वीकृति भी यही रही है, अव्यक्त मान्यता यही रही है कि दिल्ली के बारे में कोई भी विधेयक या दिल्ली के बारे में कोई भी कानून तब तक संसद के श्रन्दर नहीं श्रायेगा जब तक कि दिल्ली के चुने हुये प्रतिनिधि उस

[श्री लाल आडवाणी]

पर विचार न कर लें और अपनी राय न दे लें। राय देने के बाद इस संसद का अधिकार है कि उसको स्वीकार करे या न करे। लेकिन राय लेकर के काम करना यह अब तक की परम्परा रही है।

इस आर्डिनेंस को जिस समय स्वीकार किया गया उस समय दिल्ली महानगर परिषद् अधिवेशन में नहीं थी और आर्डिनेन्स के बारे में शायद महानगर परिषद् की राय लेना संभव नहीं था। किन्तु मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि दिल्ली प्रशासन और उसकी जो प्रतिनिधि संस्था कार्यकारी परिषद्, एग्जिक्युटिव कौंसिल है उससे राय क्यों नहीं ली गई। यह मेरी प्रथम आपत्ति है। इससे वास्तव में मेटरोपोलिटन कौंसिल का एग्जिस्टेंस ही बिल्कुल निरर्थक हो जाता है। मेटरोपोलिटन कौंसिल को इसी कारण से बनाया गया था कि दिल्ली के सारे मामलों पर दिल्ली के प्रतिनिधि पहले विचार कर लें और उसके बाद संसद उनके बारे में विचार करे। मैं चाहूँगा कि मन्त्री महोदय इस बात का स्पष्ट उत्तर दें कि यह परम्परा सर्वथा गलत परम्परा है और आगे इस प्रकार का रेपीटीशन बिल्कुल नहीं होगा। इस पर तो जो होना था वह हो ही गया है। आज हम इस पर विचार कर रहे हैं। कल महानगर परिषद् का अधिवेशन हो रहा है। वहां पर निश्चित रूप से इस बात पर आपत्ति उठाई जायगी। वे भी इस पर आपत्ति उठायेंगे विरोध करेंगे और रोष प्रगट करेंगे। आज मन्त्री महोदय स्पष्ट रूप से घोषणा कर दें कि इस बार जो हुआ है उसकी पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होगी।

जहां तक इसके कटेंट्स का सवाल है, मैं समझता हूँ कि यह एक डेलीकेट मामला है। मैं इस मत का नहीं हूं कि जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं उनमें सरकार का बिल्कुल कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वे किसी भी प्रकार से चलें, वहां पर व्यवस्था हो अथवा न हो, उसके बारे में सरकार को कुछ नहीं बोलना चाहिये, इस मत से मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन मैं इस मत का जरूर हूं कि हस्तक्षेप इस प्रकार का कभी न हो जिसके कारण आशंका लोगों में हो कि जो संस्थाएं समाज की होने चाहिये उनको सरकारी संस्था बनाने की कोशिश की जा रही है।

इस विषय में मेरी आपत्ति यह है कि इस विधेयक का गठन जिस प्रकार से किया जा रहा है, सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट बिल जिस प्रकार का लाया जा रहा है वह एक प्रकार से गुरुद्वारों को सरकारी संस्थान बनाने की दिशा में एक कदम है। इसी कारण सिखों के एक बहुत बड़े समुदाय ने, एक प्रकार से कहा जाए तो सिखों के बहुतांश ने उसका विरोध किया है। इस विधेयक में इस बात की गंध मिलती है कि सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए गुरुद्वारों को और उनके प्रबन्ध को अपने हाथ में लेना चाहती है।

नामांकन के कई तरीके ही हो सकते थे। इस बिल में कहा गया है कि बोर्ड के पांच सदस्यों का नामिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और जिस का अधिकार एडमिनिस्ट्रेटर को दिया हुआ है। मैं समझता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें सीधे तौर पर न आती तो अच्छा था। दिल्ली प्रशासन आ सकता था कुछ मात्रा में, पूरी मात्रा में वह भी नहीं आना चाहिए था। अच्छा होता कि सिखों से ही उनके प्रतिनिधियों से ही राय करके ऐसे आदमियों को नामिनेशन का अधिकार दिया जाता कि जिनके बारे में उनमें विश्वास उत्पन्न हो सके। क्या तरीके निकल सकते थे यह मैं ऑफ हैंड नहीं कह सकता, लेकिन प्रेस कांउसिल जैसे स्थानों के लिए जैसा हमने किया है कि वह अधिकार स्पीकर को या चेयरमैन को या कहीं-कहीं चीफ जस्टिस को दिया है, वैसी ही कोई व्यवस्था इसमें की जा सकती थी जिसके कि उनमें हमारे प्रति विश्वास पैदा होता और उनके मन में यह आशंका न

निर्मित होती कि शासन उनके धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है। इस बिल से निश्चित रूप से यह आशंका उत्पन्न होती है।

मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार के माननीय मंत्री इस बिल को जब अन्तिम रूप देने की कोशिश करें तो ऐसी व्यवस्था करें कि जिस से आशंकायें निर्मूल हों। दोनों आशंकायें—एक तरफ तो दिल्ली के निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर से और दूसरे सिख कम्युनिटी की ओर से जो आशंकायें व्यक्त की गयी हैं उनका निर्मूलन होना चाहिए। अगर उनका निर्मूलन नहीं हुआ तो निश्चित रूप से मेरा यह सदेह सही सिद्ध होगा कि इस बिल का उद्देश्य प्रमुख रूप से राजनीतिक है। एक तरफ तो दिल्ली के प्रतिनिधियों के खिलाफ और दूसरी तरफ सिखों का राजनीति में जो स्थान है उसका अपने दलगत दृष्टि से लाभ उठाने के लिए ही इस बिल को लाया गया है। इन शब्दों के साथ में इस सदन में प्रार्थना करता हूं कि वह इस आर्डिनेंस का निरनुमोदन करे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Gokhale, you can move your motion and speak affeT lunch.

SHRI H. R. GOKHALE : I will move the Bill for consideration and will make a brief statement in support of the Bill. There are only two minutes left. 1 will continue after the recess. 1 will move the Bill now.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You can move the Bill now and make a speech also if it is a brief one. If it is not brief then you can make the speech after lunch.

SHRI H. R. GOKHALE : I will make the speech after lunch I will move the Bill now.

Sir, I beg to move that the Bill to provide for the betver management of certain Sikh Gurdwaras and Gurdwara property be taken into consideration.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 2 p. M.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

ANNOUNCEMENT *RE* GOVERNMENT LEGISLATIVE AND OTHER BUSINESS DURING THE CURRENT SESSION EXTENDED UPTO 24TH JUNE, 1971

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting held today, the 16th June. 1971, allotted time as follows for Government legislative and other business to be taken up during the current Session of the Rajya Sabha :

1. General Discussion on T the Punjab Budget (1971-72)
2. Consideration and y Two hours return of the Punjab Appropriation Bill, | 1971. j
3. Consideration of a Resolu- 1 tion seeking approval of J the Proclamation issued by L Two the President on the 15th hours. June, 1971, in respect of the State of Punjab. j

The Committee also recommended that in order to complete the business :

(i) the House should sit up to June 24, 1971 ;

(ii) there would be no Question Hour during the extended period of the Session, namely, 21st to 24ih June, 1971 ; and

(iii) the House should sit up *to* 6.00 p. M. daily, and beyond 6.00 P. M. as and when necessary, according to exigencies of work.

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE DELHI SIKH GURDWARAS (MANAGEMENT) ORDINANCE, 1971—*Contd.*

II. THE DELHI SIKH GURDWARAS (MANAGEMENT) BILL, 1971—*Contd.*

SHRI H. R. GOKHALE ; Sir, as the House is aware, on the 20th of May, 1971,